दि तालागंग को-ऑप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड *(रजि. नंबर 799)*
प्लॉट नंबर 49, सेक्टर-13, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085।
फोन नंबर: 011-46017386, 9599001951

03.05.2026 (रविवार) को ब्लॉक नंबर 13, नीलकंठ अपार्टमेंट, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली 110085 के बेसमेंट में आयोजित विशेष आम सभा की बैठक का कार्यवृत्त।

विशेष आम सभा की बैठक (SGBM), 03.05.2026 को आयोजित की गई थी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, हालांकि, कोरम की कमी के कारण, इसे सुबह 10:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक अंततः सुबह 11:00 बजे शुरू हुई, जिसमें 51 सदस्य उपस्थित थे, जो अंततः पूरी बैठक के दौरान उपस्थित 105 सदस्यों तक पहुंच गई।

सचिव श्री सुनील गर्ग और अध्यक्ष श्री राजेश गर्ग ने सदन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने सचिव श्री सुनील गर्ग से एजेंडे की मदों को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

एजेंडा आइटम नंबर 1

पिछले AGBM के कार्यवृत्त की पुष्टि

14.09.2025 को आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक (एजीबीएम) के कार्यवृत्त को सदन के समक्ष रखा गया और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेंडा आइटम नंबर 2

सड़क परियोजना पर अपडेट

निम्नलिखित सदस्यों ने सड़क परियोजना के संबंध में प्रश्न और टिप्पणियां कीं:

1. श्री गोपाल दास मंदाना (एम.एस. नंबर 1045)
   क) सड़क परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा के बारे में अपडेट का अनुरोध किया।
   ख) मूल परियोजना मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

2. श्री लोकेश गर्ग (एम एस नंबर 1071)
   क) परियोजना को संभालने वाली समिति के सदस्यों के बारे में पूछा।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

बी) ठेकेदार कंपनी के साथ निष्पादित समझौते का अनुरोध किया गया विवरण।

ग) एसएससी खंड संख्या 31 और 32 के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा ।

घ) इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक और पाइप कार्य के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

ङ) मैसर्स रजत कंस्ट्रक्शन कंपनी और मैसर्स केके कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच प्रबंधन की भूमिका के बारे में पूछा गया।

3। श्री सुंदर लाल परुथी (एम एस नंबर 746)
ईंटों में इस्तेमाल होने वाले रंगद्रव्य के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और वर्णक मिश्रण की फिर से जांच करने का सुझाव दिया।

4. श्री अशोक कुमार भाटिया (एम एस नंबर 464)

क) ठेकेदार समझौते में दंड खंड के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

बी) मूल परियोजना लागत के बारे में पूछा गया।

ग) देखा गया कि परियोजना का केवल 25% कार्य पूरा हुआ था।

5. श्री प्रमोद किशन (एम.एस. नंबर 1025)

क) मूल रूप से अनुमोदित परियोजना क्षेत्र और उसके बाद के क्षेत्र में वृद्धि के बारे में पूछा गया।

ख) इस बारे में पूछताछ की गई कि पुरानी ईंटों का पुन: उपयोग कैसे किया जा रहा है।

6. श्री राम अवतार शाह (एम.एस. नंबर 1042)

क) कहा गया है कि प्रारंभिक परियोजना लागत लगभग ₹129 लाख थी।

ख) क्या सरकारी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गड्ढे के डिजाइन में बदलाव के कारण परियोजना की लागत में लगभग 20 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी?

ग) भविष्य में सदस्यों से किसी भी अतिरिक्त वित्तीय मांग की संभावना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

7. श्री भूरा राम चौधरी (एम एस नंबर 1018)

अन्य सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रबंधन ने परियोजना के प्रतिशत पूरा होने के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

8. अनीता गोयल (एम एस नंबर 968)

अन्य सदस्य को जवाब दिया कि इस स्तर पर एक नए ठेकेदार को क्यों नियुक्त किया जाए, क्योंकि इससे सदस्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

9। श। नीरज गर्ग (एम एस नंबर 962)

मालिकों के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों से किसी भी परियोजना के विलंबित होने के सामान्य पैटर्न के बारे में अन्य सदस्यों को जवाब दिया।

10. श्री अनुज मोरे (एम एस नंबर 1047)

अन्य सदस्य को जवाब दिया और पूछा कि यदि कोई विक्रेता काम पूरा किए बिना काम छोड़ देता है, तो इस प्रबंधन की कार्रवाई क्या होनी चाहिए।

11. श्रीमती मीनाक्षी बंसल (एम एस नंबर 158)

सड़क परियोजना की लागत में वृद्धि पर अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के बारे में पूछताछ की गई क्योंकि लाइट परियोजना में लागत में वृद्धि सड़क परियोजना में शून्य की तुलना में 10 गुना से अधिक थी।

12. श्री विनीत गर्ग (एम एस नंबर 1014)

अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सड़क परियोजना में अत्यधिक देरी के बारे में सहमति व्यक्त की और उसी ठेकेदार के साथ काम जारी रखने का सुझाव दिया। आगे मतदान कराने का सुझाव दिया कि सोसायटी को उसी ठेकेदार के साथ जारी रखना चाहिए या बदलना चाहिए।

13. श्री एन. के. जैन (एम एस नंबर 572)

सदन को सूचित किया कि 10% की सीमा तक वृद्धि के प्रावधान के बारे में सरकार के दिशा-निर्देश हैं।

अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि एक सड़क परियोजना दल है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{ प्रधान}	{ उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

1. श्री रवि महाजन
2. श्री प्रदीप नाइक
3. श्री राजेश गुप्ता
4. श्री नवीन मित्तल

अध्यक्ष ने श्री रवि महाजन से सदस्यों को जानकारी देने का अनुरोध किया

श्री रवि महाजन ने परियोजना की प्रगति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी और इस प्रकार बताया:

क) परियोजना के लिए निविदा दिसंबर 2024 में खोली गई थी।

ख) सड़क परियोजना और पाइप वर्षा जल संचयन परियोजना के लिए सामूहिक रूप से अनुमानित परियोजना लागत लगभग 127 लाख रुपये थी।

ग) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने प्रस्तावित मॉड्यूलर पिट विधि को मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय पारंपरिक पिट प्रणाली को अपनाने का निर्देश दिया। नतीजतन, परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 168 लाख रुपये हो गई।

घ) क्रमशः 50, 50 और 20 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले तीन वर्षा जल संचयन गड्ढों का प्रस्ताव, निर्माण और निर्माण और पूरा किया गया था।

ड.) 2-3 कंपनियों से कोटेशन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से मेसर्स केके कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद को अंतिम रूप दिया गया था।

च) सुझाव दिया गया कि ठेकेदार द्वारा देरी को नोटिस जारी करके उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए।

छ) हालांकि देरी हो रही है, लेकिन **परियोजना के पूरा होने के बाद, समाज काफी बेहतर और सौंदर्य की दृष्टि से बेहतर दिखेगा।**

इसके अलावा, अध्यक्ष श्री राजेश गर्ग ने सदन को निम्नलिखित अपडेट और स्पष्टीकरण प्रदान किए, जो इस प्रकार हैं:

1. यह बताया गया कि दोनों परियोजनाओं पर सामूहिक रूप से लगभग 81 लाख रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि लगभग 87 लाख रुपये थी।
2. सड़क परियोजना के तहत लगभग 7,081 वर्ग मीटर टाइल के काम की योजना बनाई गई थी, जिसमें से लगभग 2,000 वर्ग मीटर पहले ही पूरा हो चुका था।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{ उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

3. यह बताया गया कि मेसर्स के.के. कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 1976 से पंजीकृत किया गया था।

4. इस बात की पुष्टि की गई कि ठेकेदार - मैसर्स रजत कंस्ट्रक्शंस और पेवर ब्लॉक्स के आपूर्तिकर्ता- मैसर्स केके कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच कोई संबंध नहीं है मैनेजमेंट का कार्य आने वाली पावर ब्लॉक की गुणवत्ता और समयानुसार आपूर्ति तक सीमित है ।

5. सदन को बताया गया कि सड़क परियोजना के संबंध में सभी निर्णय परियोजना समिति, प्रबंधन समिति और ठेकेदार के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए थे।

6. पेवर ब्लॉकों की निर्माण प्रक्रिया को दिखाने वाला एक वीडियो आधिकारिक सोसाइटी समूह में साझा किया गया था।

7. 14.09.2025 को आयोजित एजीएम के दौरान, लगभग 25 लाख रुपये की लागत वाले दो गड्ढों वाली मॉड्यूलर पिट प्रणाली पर चर्चा की गई थी, और लगभग 12.50 लाख रुपये की लागत वाले एक अतिरिक्त तीसरे गड्ढे को भी मंजूरी दी गई थी।

8. यह भी बताया गया कि पेवर ब्लॉकों की लागत लगभग ₹35 प्रति वर्ग मीटर बढ़ गई थी.

9. बाद में परियोजना क्षेत्र बढ़कर लगभग 8,600 वर्ग मीटर हो गया था।

10. मतदान के बाद, उपस्थित अधिकांश सदस्यों ने मैसर्स रजत कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से परियोजना को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

11. यह स्पष्ट किया गया कि सदस्यों की ओर से कोई **अतिरिक्त वित्तीय मांग** नहीं की जाएगी।

12. हालांकि, सदन ने काम पूरा होने तक सड़क परियोजना की लागत में वृद्धि को मंजूरी दी। तथापि, मानदंडों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

13. अंत में, अध्यक्ष ने किसी भी/सभी सदस्यों को अपनी शंकाओं/प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए कार्यालय आने के लिए आमंत्रित किया, यदि कोई हो।

संकल्प: सभा ने अधिकांश सदस्यों द्वारा एक ही ठेकेदार के साथ सड़क परियोजना को जारी रखने और जो भी काम आता है, उसे पूरा करने के लिए निष्पादन लागत में वृद्धि के बारे में पुष्टि करने की मंजूरी दी।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

एजेंडा आइटम नंबर 3

शाफ्ट मरम्मत परियोजना

अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शाफ्ट की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता के कारण, सदस्यों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय मांग उठाए बिना सड़क परियोजना के साथ-साथ काम शुरू किया गया था।

अध्यक्ष ने सदन को यह भी बताया कि शाफ्ट मरम्मत परियोजना पर लगभग 20 लाख रुपये की लागत आई है।

संकल्प: सदन ने सर्वसम्मति से शाफ्ट मरम्मत परियोजना और प्रबंधन समिति द्वारा उस पर किए गए खर्चों के लिए हाथ उठाकर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेंडा आइटम नंबर 4

अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सीमा अग्रवाल से संबंधित मामलों के खिलाफ सोसायटी द्वारा की गई वसूली कार्यवाही के बारे में एजेंडा पढ़ा और सदस्यों को आगे के विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया।

क) श्री स्विंदर पाल चंडोक (एम.एस. नंबर 840) ने समाज के धन को बचाने के लिए आंतरिक रूप से चयनित सदस्यों की एक समिति द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा कराने के अपने पहले के सुझाव को याद दिलाया।

ख) श्री प्रमोद किशन (एम.एस. नंबर 1025) (i) ने सुझाव दिया कि एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए; (ii) सदस्यों के बीच लंबे समय से लंबित कानूनी मामलों की स्थिति पर सवाल उठाया गया, जिसके लिए समाज द्वारा भारी कानूनी खर्च किया जा रहा है; (iii) पुराने लंबित मामलों में सदस्यों से लगभग 50.00 लाख रुपये की धनराशि की वसूली में वर्तमान प्रबंधन प्रयासों की सराहना की और बताया कि पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप हंस ने उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बावजूद धन की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की।

ग) श्री लोकेश गर्ग (एम एस नंबर 1007) ने उस अवधि के बारे में पूछा जिसके लिए विशेष लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी और सुझाव दिया कि लेखा परीक्षा में वर्ष 2012 से 2025 तक की अवधि शामिल होनी चाहिए।

घ) श्रीमती मीनाक्षी बंसल (एमएस नंबर 158) ने सुझाव दिया कि सदन को विशिष्ट रहना चाहिए और विशेष लेखा परीक्षा केवल चार परियोजनाओं तक ही सीमित होनी चाहिए।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

ड.) श्री प्रदीप हंस (एमएस नंबर 838) ने उदासीन रूप से एक तथ्यात्मक बयान दिया जहां वे चाहते थे कि सभी सदस्य शांति और सद्भाव से रहें। उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ पुराने मामलों का हवाला दिया, जहां कोर्ट/आरसीएस के आदेश के बावजूद शायद ही कोई कार्रवाई शुरू की गई। समाज के सदस्यों और निवासियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए, उन्होंने मामले को हल करने के लिए पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान एमसी के बीच मध्यस्थता की पेशकश की और पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सीमा अग्रवाल की ओर से माफी भी मांगी। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष सीमा अग्रवाल से फिर अनुरोध किया कि वे आगे आएं और समाज के हित में माफी मांगें।

च) श्री भूरा राम चौधरी (एम.एस. नं. 1018) ने श्री प्रदीप हंस के बयान का विरोध किया कि पहले श्री प्रदीप हंस से जुड़े पुराने लंबित कानूनी मामलों को हल किया जाना चाहिए।

छ) श्री नीरज गर्ग (एम.एस. नंबर 962) ने कुछ तर्कों के साथ विचार-विमर्श किया और सुझाव दिया कि अगर लाइट प्रोजेक्ट वसूली योग्य है, तो कुछ राशि के साथ माफी प्राप्त करके मामले को एक परिवार की तरह सुलझाया जाए।

ज) श्रीमती जलपा जैन (एम एस नंबर 1044) ने एमसी के समक्ष सवाल उठाया कि क्या किसी सदस्य ने उपरोक्त एसजीबीएम में कोई प्रश्न उठाने के लिए सोसायटी कार्यालय के साथ एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है?

झ) श्रीमती सीमा अग्रवाल (एमएस नंबर 921) पूर्व अध्यक्ष ने सदन को संबोधित किया और कहा कि वह **सदस्यों के साथ बातचीत करने आई थीं, न कि प्रबंधन समिति के साथ।** यह अध्यक्ष के लिए अपमान था क्योंकि यह एमसी द्वारा बुलाई गई एक विशेष आम सभा की बैठक थी कुछ मामलों पर अद्यतन और डीसीएस अधिनियम में परिभाषित नियमों द्वारा शासित किया जाता है जहां सदस्यों को सदन द्वारा स्वीकृति के लिए अध्यक्ष को अपनी शिकायतें और/या सुझाव देने की आवश्यकता होती है।

हालांकि, श्रीमती सीमा अग्रवाल ने केवल सदस्यों के सामने तथ्यों के अपने संस्करण को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता ली।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान प्रबंध समिति आरसीएस और माननीय डीसीटी के समक्ष सभी मामले हार चुकी है और उक्त अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आरसीएस से अनुरोध किया था कि यदि प्रबंधन समिति आरसीएस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो एक प्रशासक नियुक्त किया जाए।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

ञ) श्री विनय मित्तल (एम एस नंबर 1059) ने सवाल किया कि वह बार-बार प्रशासक की नियुक्ति के लिए क्यों इच्छुक हैं?

ट) श्री भूरा राम चौधरी (एम एस नंबर 1018) ने श्रीमती सीमा अग्रवाल से भी सवाल उठाए (i) कि उन्हें सोसाइटी के सदस्यों द्वारा चुना गया था और सोसायटी के सदस्यों ने लाइट प्रोजेक्ट की जांच की थी, इसलिए वह ऐसे सदस्यों के निष्कर्षों पर विश्वास क्यों नहीं करती हैं? (ii) उन्होंने पहले सदस्यों की बैठक बुलाए बिना समाज के नियंत्रण को प्रशासक के अधीन क्यों रखा था।

(ठ) श्रीमती नीलम जैन (एम.एस. नं. 733) ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने श्रीमती सीमा अग्रवाल से सवाल उठाया था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और एक प्रशासक की नियुक्ति क्यों की? इस पर श्रीमती सीमा अग्रवाल ने उन्हें ***"अकेली रहती है, थोड़ा संभल के रह" कहकर धमकी दी थी ।***
सदन इन शब्दों पर स्तब्ध रह गया और सम्मानित वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा दिए गए बयान पर ध्यान दिया।

ड) श्रीमती सीमा अग्रवाल (एमएस नंबर 921) और श्रीमती सीमा सिंघल (एमएस नंबर 842) ने उक्त आरोप के संबंध में सबूत मांगा।

अध्यक्ष ने सदन से विशेष लेखा परीक्षा के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का पुन अनुरोध किया।

श्रीमती सीमा अग्रवाल (एमएस नंबर 921) ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वह सदस्यों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं और टिप्पणी की ***मैं सदस्यों को क्यो मानू सदस्य तो कुछ भी बोलेंगे***।

अध्यक्ष एक बार फिर असमंजस में पड़ गए कि पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सीमा अग्रवाल द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों को कैसे समझा जाए। सदन के समक्ष अपनी दलीलें शुरू करने में, उन्होंने केवल सदस्यों को संबोधित करना शुरू किया, न कि अध्यक्ष को, जबकि जब उन्हीं सदस्यों ने उनके बयान के जवाब में सवाल उठाए, तो उन्होंने तुरंत अपना संबोधन अध्यक्ष को बदल दिया और वहां के सदस्यों की अवहेलना की।

ढ) श्रीमती अनीता गोयल (एम एस नंबर 968) ने श्री प्रदीप हंस की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या प्रबंधन समिति के सदस्यों ने वित्तीय लाभ के लिए कार्यालय में प्रवेश किया है। उन्होंने एयर कंडीशनर को कम कीमत पर बेचने के बारे में चिंता व्यक्त की क्योंकि वे सोसायटी फंड से खरीदे गए थे। श्रीमती अनीता गोयल ने लगभग 50 लाख रुपये की वसूली और इस मामले को सदस्यों के समक्ष पारदर्शी रूप से रखने के लिए वर्तमान प्रबंधन समिति की सराहना की।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

ण) श्रीमती दीपा (एम.एस. नंबर 1054) ने कहा कि यदि किसी प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रस्ताव पर कभी विचार किया गया था, तो उसे पहले सामूहिक निर्णय लेने के लिए सामान्य निकाय के समक्ष रखा जाना चाहिए।

त) श्री प्रदीप हंस (एमएस नंबर 838) ने फिर से सदन को संबोधित किया और निंदा की कि प्रशासक की नियुक्ति समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं थी। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष द्वारा श्रीमती नीलम जैन को दी गई कथित धमकियों की भी निंदा की।

इसके बाद अध्यक्ष ने आरसीएस को सौंपे गए अपने पत्र को प्रदर्शित किया, जिसमें वर्तमान प्रबंधन समिति को हटाने की मांग की गई थी ताकि निष्पक्ष निरीक्षण किया जा सके और उसके बाद एक प्रशासक नियुक्त किया जा सके। श्रीमती सीमा अग्रवाल ने **"हा मैंने बिलकुल कहा है"** कहकर उक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की बात स्वीकार *की।*

पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष के कृत्य की निंदा की और *'शर्मनाक'* के नारे लगाए।

इसके बाद अध्यक्ष ने दिनांक 28.05.2023 **की बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख** किया और बताया कि प्रबंधन समिति ने सोसायटी के निवासियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी एसी इकाइयों को ₹8,000 प्रति यूनिट की दर से बिक्री को मंजूरी दी थी। उन्होंने सदन को आगे बताया कि **एमसी बैठक से पहले ही 23.05.2023** को दो एसी यूनिट बेची जा चुकी थीं।

अध्यक्ष ने सदन को **"वर्ल्डवाइड इंडिया" के नाम से कथित रूप से जारी एक रसीद के बारे में सूचित किया**। उन्होंने कहा कि सदस्य स्वतंत्र रूप से उक्त इकाई के विवरण को सत्यापित कर सकते हैं और आगे आरोप लगाया कि भुगतान कथित तौर पर **श्री नवनीत सिंह** से संबंधित मोबाइल नंबर **9971497607** के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो **मैसर्स ओडिन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती सीमा अग्रवाल के स्वामित्व वाली एक कंपनी।**

पूर्व अध्यक्ष से धन की वसूली पर विचार-विमर्श तत्कालीन एमसी से फैसलों की मंजूरी से पहले प्रशासक की नियुक्ति और एयर कंडीशनर की बिक्री के अनुरोध पर पूर्व अध्यक्ष के बिना किसी कारण के बैठक से वॉकआउट के साथ समाप्त हुआ।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{ उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}

कार्यसूची आइटम नंबर 5

सभापीठ की अनुमति से कोई अन्य वस्तु

श्री भूरा राम चौधरी (एम एस नंबर 1018) ने एक बार फिर विशेष लेखा परीक्षा कराने की मांग की, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रबंधन समिति के सदस्यों का कानूनी खर्च सोसायटी द्वारा अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए ही वहन किया जाना चाहिए, जिसके बाद इस तरह के खर्चों को संबंधित एमसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया जाना चाहिए।

श्री विनय मित्तल (एम एस नंबर 1059) ने कहा कि सदस्यों को एक विशेष लेखा परीक्षा करने में शामिल संभावित व्यय पर भी विचार करना चाहिए, जो उनके अनुसार लगभग ₹5 लाख से ₹25 लाख तक हो सकता है।

हालांकि, कई सदस्यों ने उक्त अनुमान से असहमति व्यक्त की।

अंत में, अध्यक्ष ने केवल चार विशिष्ट मुद्दों तक सीमित एक विशेष लेखा परीक्षा के संचालन के लिए सदन की मंजूरी मांगी।

संकल्प: सदन ने चार मुद्दों तक सीमित एक विशेष लेखा परीक्षा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जैसा कि माननीय डीसीटी के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, अधिकांश सदस्यों ने पुष्टि में हाथ उठाया।

SGBM का निष्कर्ष और समापन

अनुमोदन का कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष ने उपस्थित सभी सदस्यों को अपना बहुमूल्य समय देने और एसजीबीएम की कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

राजेश गर्ग	बलबीर सिंह	सुनील गर्ग	राजकुमार सिंघल
{प्रधान}	{उप प्रधान}	{सचिव}	{कोषाध्यक्ष}

रूपन बंसल	मूर्ति बंसल	विजय लक्ष्मी गोयल	नरेश जैन	प्रवीण जैन
{संयुक्त सचिव}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}	{सदस्य}